न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 119 / 2016

उनवान

(1) विनोद कुमार पिता स्व. श्री कान्तिलाल जाति सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) अर्जुन पिता स्व. श्री कान्तिलाल जाति सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) हरिकिशन पिता कालिया सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) राहुल पिता रामु सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) कुलदीप पिता रामु सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) विष्णा पत्नी स्व. रामु सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) विरेन्द्र पिता बालकृष्ण सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(6) बलदेव पिता बालकृष्ण सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(7) विजय पिता बालकृष्ण सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(8) गजेन्द्र पिता बालकृष्ण सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(9) करूणा पत्नी बालकृष्ण सईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(10) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 11.2.2021

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 125 नया 115 पुराना के निम्न खसरा है:—

खाता नम्बर	सर्वे नम्बर	रकबा
125 नया 115 पुराना	125	0.04
	560	0.03
	561	0.25
	3024	0.10

कुल खेत नंग 04 कुल रकबा 1.05

वाके गांव गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है।

वादीगण की उक्त पैतृक भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पितृ पुरूष कालिया की होकर कालिया की मृत्यु पश्चात उनके पुत्र बद्री, शंकर, कान्तिलाल, बालकृष्ण एवं हरिकिशन उक्त भूमि के उत्तराधिकारी हुए। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली निम्नानुसार है:—

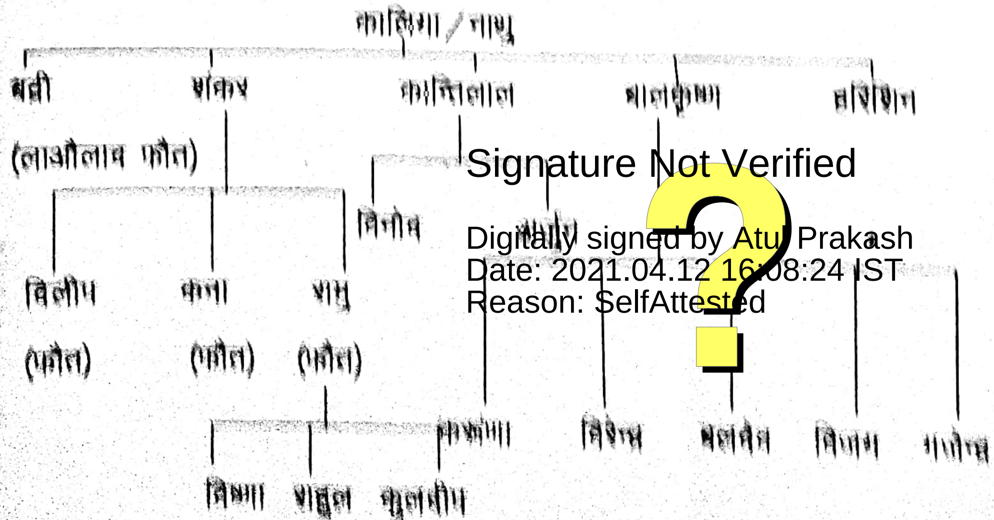

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पितृपुरूष श्री कालिया की मृत्यु उपरान्त उनके जीवित वारिश शंकरजी, कान्तिलाल, बालकृष्ण, हरिशिन का नाम रेकार्ड मे दर्ज होना था परन्तु प्रतिवादीगण करूणा, विरेन्द्र, बलदेव, विजय, गजेन्द्र के पिता एवं पति बालकृष्ण एवं प्रतिवादी हरिशिन ने AThe Back of Party राजस्व कर्मचारियो से मिलकर सभी वारिसों की जगह अपना नाम दर्ज करवा दिया । जबकि उक्त पैतृक सम्पत्ति के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी बराबर के हकदार होकर सभी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबीज है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई उक्त त्रुटी की वजह से वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो सका जिस वजह से वादीगण को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। जिसे दुरस्त कर वादीगण को सह खातेदार घोषित कर उक्त संयुक्त खाते में उनका नाम दर्ज रेकार्ड किया जाना आवश्यक है इस हेतु वाद धारा 88 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ। प्रतिवादीगण अपने नाम का अनुचित फायदा उठाने हेतु उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने आमादा है। जिन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। इस हेतु हस्य धारा 188 रा.का.अ. के तहत वाद पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। दौराने कार्यवाही दिनांक 04.6.2019 को वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 8 व 09 ने मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा पेश किया। तत्पश्चात् पत्रावली शेष प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नियत की गई। दौराने कार्यवाही वादी एंव प्रतिवादी अभिभाषक ने प्रकरण में शेष पक्षकारांन् एक ही परिवार के होकर पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा में किसी प्रकार का व्यवधान नही होना अवगत करातें हुऐ नियमानुसार निर्णय पारित करानें अनुरोध किया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, ग्राम पंचायत गढ़ी की ओर से जारी वंशावली प्रमाण–पत्र, नकल जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 तथा पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया जाने पर ज्ञात आया कि पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढ़ी की खाता संख्या 125 (नई) 115 (पुरानी) के कुल किता 04 रकबा 1.05 हे0 भूमि मूल पुरूष कालिया पिता नाथु के नाम दर्ज रिकार्ड थी, कालिया के फोत होने पर विरासती नामान्तरकरण द्वारा स्व0 श्री कालिया के पुत्र क्रमशः शंकर, कान्तिलाल, बालकृष्ण, हरिकिशन के नाम का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना था। परन्तु मूल खातेदार कालिया के फोत होने पर उनके पुत्र कान्तिलाल का नाम खातें में दर्ज होने से रह जाने के कारण कान्तिलाल के फोत होने पर उनके वारिसान वादीगण की नाम भी दर्ज नही हो पाया।

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद के समर्थन में वादीगण एंव प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढ़ी की खाता संख्या 125 (नई) 115 (पुरानी) के कुल किता 04 रकबा 1.05 हे0 भूमि में दर्ज खातेदारान् के साथ वादीगण विनोद कुमार, अर्जुन पिता स्व0 श्री कान्तिलाल को सहखातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादीगण एंव प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढ़ी की खाता संख्या 125 (नई) 115 (पुरानी) के कुल किता 04 रकबा 1.05 हे0 भूमि में दर्ज खातेदारान् के साथ वादीगण विनोद कुमार, अर्जुन पिता स्व0 श्री कान्तिलाल को सहखातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2021 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 119/2016

उनवान

(1) विनोद कुमार पिता स्व. श्री कान्तिलाल जाति साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) अर्जुन पिता स्व. श्री कान्तिलाल जाति साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) हरिकिशन पिता कालिया साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) राहुल पिता रामु साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) कुलदीप पिता रामु साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) विष्णा पत्नी स्व. रामु साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) विरेन्द्र पिता बालकृष्ण साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(6) बलदेव पिता बालकृष्ण साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(7) विजय पिता बालकृष्ण साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(8) गजेन्द्र पिता बालकृष्ण साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(9) करूणा पत्नी बालकृष्ण साईस निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(10) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 11.2.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढ़ी की खाता संख्या 125 (नई) 115 (पुरानी) के कुल किता 04 रकबा 1.05 हे0 भूमि में दर्ज खातेदारान् के साथ वादीगण विनोद कुमार, अर्जुन पिता स्व0 श्री कान्तिलाल को सहखातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 11.2.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनताना वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner